Form No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलेक्टर, सांचौर, जिला – जालोर

प्रार्थीगण
डुंगराराम पुत्र श्री हरजीराम जाति विश्नोई निवासी सांकड़ तहसील सांचौर जिला जालोर वगैरा।

अप्रार्थीगण
हरीराम पुत्र हरजीराम जाति विश्नोई निवासी सांकड़ तहसील सांचौर जिला जालोर वगैरा।

किस्म मुकदमाः– अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

मुकदमा सं. :– ....39..../2025

तारीख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज**	**नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए।**
10.07.2025	प्रार्थी ने उक्त अनवान प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा धारा 212 आर टी एक्ट में जारी करने हेतु प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया, प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा एकपक्षीय बहस में निवेदन किया कि वांके सरहद मौजा सांकड़ पटवार हल्का सांकड़ तहसील सांचोर में प्रार्थीगण के खातेदारी, कब्जा उपयोग के पुश्तैनी आराजी के खेत खाता सं. 368 के खसरा नम्बर 1968 रकबा 3.26 हैक्टर, खसरा नम्बर 1969 रकबा 1.45 हैक्टर, खसरा नम्बर 1970 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 1971 रकबा 0.20 हैक्टर, खसरा नम्बर 1976 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 1977 रकवा 3.55 हैक्टर, खसरा नम्बर 1978 रकबा 0.88 हैक्टर, खसरा नम्बर 1979 रकबा 0.72 हैक्टर, खसरा नम्बर 1980 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 1981 रकबा 0.07 हैक्टर, खसरा नम्बर 1982 रकबा 4.27 हैक्टर, खसरा नम्बर 1983 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 1984 रकबा 0.09 हैक्टर, खसरा नम्बर 1985 रकबा 3.94 हैक्टर, खसरा नम्बर 2026 रकबा 0.83 हैक्टर, खसरा नम्बर 2027 रकबा 0.94 हैक्टर कुल रकबा 20.30 हैक्टर भूमि राजस्व रेकर्ड मे दर्जसुदा कब्जासुदा खातेदारी का आया हुआ है। उक्त हिस्से अनुसार अलग कब्जाकाश्त है तथा माठे कायम है। प्रार्थीगण के बंट हिस्से की जमीन मे मौके पर वर्षो पुरानी रहवासी ढाणी, कुए एवं पानी का टांका वगैरा स्थित है तथा कृषि उपयोग के लिए कृषि विद्युत कनेक्शन लिया हुआ है तथा प्रार्थीगण अपने हिस्से की भूमि का उपयोग उपभोग काश्त वगैरा कदीमी से करते आ रहे है तथा प्रार्थीगण के बंट कब्जे में स्थित कुए पर कृषि कार्य करता आ रहा है। अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि को अवैध व गैर कानूनी तरीके से प्रार्थीगण के [illegible] हिस्से को अप्रार्थीगण अपने बंट हिस्से में मिलाकर मौके [illegible] को तोड़ फोड़ करने हेतु उतारू है [illegible] नुकशान पहुंचानें व अन्य तरीके से संक्रान्त किया जाकर वादग्रस्त भूमि में बल पूर्वक हिस्से से अधिक प्रवेश कर प्रा[illegible]ण को बेदखल करना चाहते है तथा अप्रार्थीगण अच्छी से अच्छी, उपजाऊ भूमि पर कब्जा करने पर प्रार्थीगण को अपने हिस्से एवं कब्जे काश्त में भारी असुविधा हो रही है तथा प्रार्थीगण को बेदखल करना चाहते है तथा प्रार्थीगण के स्थित कृषि विधुत कनेक्शन का उपयोग उपभोग करने	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.09.09 15:30:42 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

नहीं देते है तथा भूमि अजनबी व्यक्ति को अप्रार्थीगण बेचान, हस्तान्तरण करना चाहते है। जिससे प्रार्थीगण को भूमि का उपयोग करनें में भारी दुविधा पैदा होगी, ऐसी ऐलानियां धमकियां प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण दे चुके है, यदि अप्रार्थीगण उपरोक्त अवैधानिक कृत्य करनें में सफल हो जाते है तो प्रार्थीगण को तरह–तरह के मुकदमेंबाजी में उलझना पड़ेगा, वाद की बहुलताएं बढेगी व कानूनी जटिलताएं पैदा होगी। प्रार्थीगण हमेशा के लिए अपने स्वामित्व खातेदारी कब्जाकाश्त की भूमि से वंचित हो जाएगा। जिससे प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी, जिसका आंकलन कतई द्रव्यो में संभव नही है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण के खातेदारी कब्जाकाश्त की भूमि मौजा सांकड़ पटवार हल्का सांकड़ तहसील सांचोर में प्रार्थीगण के खातेदारी, कब्जा उपयोग के पुश्तैनी आराजी के खेत खाता सं. 368 के खसरा नम्बर 1968 रकबा 3.26 हैक्टर, खसरा नम्बर 1969 रकबा 1.45 हैक्टर, खसरा नम्बर 1970 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 1971 रकबा 0.20 हैक्टर, खसरा नम्बर 1976 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 1977 रकबा 3.55 हैक्टर, खसरा नम्बर 1978 रकबा 0.88 हैक्टर, खसरा नम्बर 1979 रकबा 0.72 हैक्टर, खसरा नम्बर 1980 रकबा रकबा 0.07 हैक्टर, खसरा नम्बर 1982 1983 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 1981 रकबा 4.27 हैक्टर, खसरा नम्बर 1984 रकबा 0.09 हैक्टर, खसरा नम्बर 1985 रकबा 3.94 हैक्टर, खसरा नम्बर 2026 रकबा 0.83 हैक्टर, खसरा नम्बर 2027 रकबा 0.94 हैक्टर कुल रकबा 20.30 हैक्टर की खातेदारी कब्जाकाश्त की भूमि में प्रार्थीगण के कब्जेकाश्त खातेदारी अधिकार में अप्रार्थीगण दखलन्दाजी पैदा न करे तथा जमीन के विशेष भू भाग पर जबरन प्रवेश कर प्रार्थीगण के हिस्से को अप्रार्थीगण के हिस्से मे नहीं मिलावें तथा माठो को रदो बदल नहीं करे एवं मौके पर बहामी एवं भौतिक सहमति से किये बंटवाड़े गये मौके पर मौजूद रास्ता स्थान की भूमि पर प्रार्थीगण के बंट हिस्से कब्जे व खेत की भूमि मे आने जाने के लिए अवरूद्ध पैदा नहीं करे तथा न ही रास्ता रोके तथा न ही कच्चा पक्का निर्माण कार्य करें व न करावें तथा प्रार्थीगण को बेदखल नहीं करें तथा न ही खेती बाड़ी वगैरा करने पर अवरोध पैदा करे तथा प्रार्थीगण के कृषि विधुत कनेक्शन के उपयोग–उपभोग करने से नहीं रोका जावे, उक्त कृत्य अप्रार्थीगण न तो स्वयं करे एवं न ही अन्य किसी मजदूर एजेन्ट या प्रतिनिधि से करावें तथा मौके एवं रेकर्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करे तथा मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण सादिर फरमावें।

प्रार्थीगण अधिवक्ता के कथनों, [illegible]वेजों व प्रार्थीगण के शपथ पत्र व वत[illegible] प्रथम दृष्टया अवलोकन से पाया कि [illegible] व अपूर्णिय क्षति का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में है। अपूर्णीय क्षति के मध्यनजर, प्रार्थी के पक्ष में सरहद मौजा सांकड़ पटवार हल्का सांकड़ तहसील सांचोर में प्रार्थीगण के खातेदारी, कब्जा उपयोग के पुश्तैनी आराजी के खेत खाता सं. 368 के खसरा नम्बर 1968 रकबा 3.26 हैक्टर, खसरा नम्बर 1969 रकबा 1.45 हैक्टर, खसरा नम्बर 1970 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 1971 रकबा 0.20 हैक्टर, खसरा नम्बर 1976 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 1977 रकबा 3.55 हैक्टर, खसरा नम्बर 1978

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.09.09 15:30:42 IST
Reason: SelfAttested

रकबा 0.88 हैक्टर, खसरा नम्बर 1979 रकबा 0.72 हैक्टर, खसरा नम्बर 1980 रकबा रकबा 0.07 हैक्टर, खसरा नम्बर 1982 1983 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 1981 रकबा 4.27 हैक्टर, खसरा नम्बर 1984 रकबा 0.09 हैक्टर, खसरा नम्बर 1985 रकबा 3.94 हैक्टर, खसरा नम्बर 2026 रकबा 0.83 हैक्टर, खसरा नम्बर 2027 रकबा 0.94 हैक्टर कुल रकबा 20.30 हैक्टर दोनो खातो की कुल भूमि 6.98 हैक्टर पर अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी तक इस अमर जाहिर की जाती है कि **उभय पक्षकारान कब्जा काश्त भूमि में आने जाने हेतु रास्ते को अवरुद्व ना करे साथ ही राजस्व रेकर्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखें।** अप्रार्थीगण अपने लिखित कथनों के द्वारा अपना पक्ष रखना चाहते है, तो असालतान या वकालतन दिनांक 13.08.2025 को इस न्यायालय में हाजिर हो। सीपीसी आदेश–39 नियम 3 के तहत प्रार्थी, अप्रार्थीगण को वाद/प्रार्थना पत्र की प्रति एवं उन दस्तावेजान की प्रतियां, जिस पर प्रार्थीगण का उक्त दावा/ प्रार्थना पत्र निर्भर करता है, रजिस्ट्रीकृत डाक से भिजवाने की व्यवस्था करेगी। तथा न्यायालय को सुचित करेगी। प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली आयंदा तारीख 13.08.2025 को पेश हो।

सहायक कलक्टर सांचौर

सहायक कलक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

13.08.25 पत्रावली पेश। प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी सं. 1 से 6 की ओर से अधिवक्ता श्री धवलचंद विश्नोई द्वारा वकालतनामा मय जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। अप्रार्थी सं. 7 से 10 की प्रार्थीगण अधिवक्ता आगामी पेशी तक तामिली पूर्ण करावें। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की कॉपी प्रार्थीगण अधिवक्ता को उपलब्ध करवाई गई। बाद पत्रावली में शामिल मिसल की गई। पत्रावली वास्ते अप्रार्थी सं. 7 से 10 की तलबी कार्यवाही दिनांक 20.08.25 को पेश हो।

सहायक कलक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kuma
Date: 2025.09.09 15:30:42 IST
Reason: SelfAttested

20.08.2025 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता इस्तगासा उपस्थित। प्रार्थी बाबूलाल द्वारा स्थगन पालना हेतु प्रार्थना-पत्र पेश किया शामिल मिसल किया। अप्रार्थी संख्या-1 लगायत 10 बाद तामील अनुपस्थित। पुकार-पुकार कर तीन बार आवाज लगवाई गई बावजूद इसके कोई उपस्थित नहीं। अतः अप्रार्थी संख्या-1 लगायत 10 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। बहस अन्तिम अधिवक्ता इस्तगासा सुनी गई। प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाकर निर्णय पृथक से लिखाया जाकर सर-ए-इजलास सुनाया गया। शामिल मिसल किया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर दे एस.डी.एम. की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.09.09 15:30:42 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 39 / 2025

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2025 / 142

प्रार्थीगण	अप्रार्थीगण
डुंगराराम पुत्र हरजीराम वगैरह	हरिराम पुत्र हरजीराम वगैरह

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

तारीख रजु :– 10.07.2025

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री जालाराम पुनिया उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 06 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री धवलचन्द बिश्नोई उपस्थित।
3. अप्रार्थीगण संख्या 07 लगायत 10 बावजूद तामील (सूचना) के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।

:– निर्णय :– दिनांक :– 20.08.2025

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वांके सरहद मौजा सांकड़ पटवार हल्का सांकड़ तहसील सांचौर में प्रार्थीगण के खातेदारी, कब्जा उपयोग के पुश्तैनी आराजी के खेत खाता संख्या 368 के खसरा नंबर 1968 रकबा 3.26 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1969 रकबा 1.45 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1970 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1971 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1976 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1977 रकबा 3.55 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1978 रकबा 0.88 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1979 रकबा 0.72 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1980 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1981 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1982 रकबा 4.27 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1983 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1984 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1985 रकबा 3.94 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2026 रकबा 0.83 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2027 रकबा 0.94 हैक्टेयर कुल रकबा 20.30 हैक्टेयर का आया हुआ है। जिसमें मुझ हम प्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 डुंगराराम, बाबुलाल, माधाराम का 1/12 हिस्सा अर्थात् हम प्रार्थीगण के हिस्से में 5.075 हैक्टेयर भूमि तथा प्रार्थीगण संख्या 4 लगायत 6 भीखाराम, बाबुलाल, हरिंगाराम का 1/[illegible] 10.15 हैक्टेयर भूमि राजस्व रेकर्ड में दर्जसुदा कब्जासुदा खातेदारी की आया हुआ है [illegible] जमाबंदी संवत 2074 से 2077 से प्रमाणित है। इस प्रकार प्रार्थीगण का मौके पर [illegible] हिस्से अनुसार अलग कब्जाकाश्त है तथा माठे कायम है। प्रार्थीगण के बंट हिस्से की [illegible] में मौके पर वर्षो पुरानी रहवासी ढ़ाणी, कुंए एवं पानी का टांका वगैरा स्थित है तथा कृषि उपयोग के लिए कृषि विधुत कनेक्शन लिया हुआ है तथा प्रार्थीगण अपने हिस्से की भूमि का उपयोग उपभोग काश्त वगैरह कदीमी से करते आ रहे है तथा प्रार्थीगण के बंट कब्जे में स्थित कुंए पर कृषि कार्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.09.09 15:30:42 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

करता आ रहा है। वादग्रस्त भूमि का प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के बाप दादा के मध्य उनके जीवनकाल में आज से करीबन 50–60 साल पूर्व बहामी व भौतिक तौर से बंटवाड़ा हो चुका है। सुविधा के लिहाज से समझने के लिए वाद पत्र के साथ नजरी नक्शा 'अ' में गुलाबी रंग से वर्णित भूमि स्व. खीयां के परिवार की व हरे रंग की भूमि स्व. हरजी के परिवार की होने से प्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 6 की अलग कब्जे काश्त की आयी हुई है तथा शेष आराजी अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 6 की आई हुई है तथा नक्शे में लाल रंग की भूमि रास्ते उपयोग की है। इस प्रकार सभी ने आपसी सहमति से बंटवाड़ा कर मौके पर अलग अलग खेती बाड़ी करते आ रहे है। अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण के खातेदारी कब्जाकाश्त की भूमि मौजा सांकड़ पटवार हल्का सांकड़ तहसील सांचौर में प्रार्थीगण के खातेदारी, कब्जा उपयोग के पुश्तैनी आराजी के खेत खाता संख्या 368 के खसरा नंबर 1968 रकबा 3.26 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1969 रकबा 1.45 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1970 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1971 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1976 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1977 रकबा 3.55 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1978 रकबा 0.88 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1979 रकबा 0.72 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1980 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1981 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1982 रकबा 4.27 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1983 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1984 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1985 रकबा 3.94 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2026 रकबा 0.83 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2027 रकबा 0.94 हैक्टेयर कुल रकबा 20.30 हैक्टेयर की खातेदारी कब्जाकाश्त की भूमि में प्रार्थीगण के कब्जेकाश्त खातेदारी अधिकार में अप्रार्थीगण दखलंदाजी पैदा न करें तथा जमीन के विशेष भू भाग पर जबरन प्रवेश कर प्रार्थीगण के हिस्से को अप्रार्थीगण के हिस्से में नहीं मिलावें तथा माठो को रदो बदल नहीं करे एवं मौके पर बहामी एवं भौतिक सहमति से किये गये बंटवाड़े, मौके पर मौजूद रास्ता स्थान की भूमि पर प्रार्थीगण के बंट हिस्से कब्जे व खेत की भूमि में आने जाने के लिए अवरूद्ध पैदा नहीं करे तथा न ही रास्ता रोके तथा न ही कच्चा पक्का निर्माण कार्य करें व न करावें तथा प्रार्थीगण को बेदखल नहीं करें तथा न ही खेती बाड़ी वगैरा करने पर अवरोध पैदा करें तथा प्रार्थीगण के कृषि विधुत कनेक्शन के उपयोग उपभोग करने से नहीं रोका जावें, उक्त कृत्य अप्रार्थीगण न तो स्वयं करें एवं न ही किसी मजदूर एजेन्ट या प्रतिनिधि से करावें तथा मौके एवं रक[illegible] प्रकार का परिवर्तन नहीं करे तथा मूल वाद के अंतिम निस्तारण [illegible] बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण सादिर फरमावें।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 1 लगातय 6 ने अप[illegible] बहस में उक्त तथ्यों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के खातेदारी कब्जाकाश्त की भूमि मौजा सांकड पटवार हल्का सांकड़, तहसील–सांचौर में अप्रार्थीगण के खातेदारी कब्जा काश्त पुश्तैनी आराजी के खेत खाता संख्या 368 के खसरा नंबर 1968 रकबा 3.26 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1969 रकबा 1.45 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1970 रकबा 0.05 हैक्टेयर,

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.09.09 15:30:42 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

खसरा नंबर 1971 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1976 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1977 रकबा 3.55 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1978 रकबा 0.88 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1979 रकबा 0.72 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1980 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1981 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1982 रकबा 4.27 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1983 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1984 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1985 रकबा 3.94 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2026 रकबा 0.83 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2027 रकबा 0.94 हैक्टेयर कुल रकबा 20.30 हैक्टेयर की खातेदारी कब्जाकाश्त की भूमि में अप्रार्थीगण अपने मौखिक बंटवाड़ा संवत 2022 के अनुसार अपने अपने हिस्से पर काबिज है। प्रार्थीगण द्वारा बेबूनियाद एवं मनगंढ़त आधार पर झूठा वाद पेश कर उपरोक्त खसरा नंबरान पर स्थगन प्राप्त करना चाहते है जो सही नहीं है मध्य विधि की दृष्टि से जब तक सहकाश्तकारों के मध्य विधिवत् बंटवाड़ा नहीं हो जाता तब तक सहकाश्तकारों में से कोई भी काश्तकार सामलाती आराजी में स्थगन प्राप्त नहीं कर सकता है। तीनो कानूनी बिन्दू प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति सभी बिन्दू अप्रार्थीगण के पक्ष में है। इस कारण प्रार्थीगण आधारहीन, बेबुनियाद आधारों पर प्रार्थना–पत्र पेश किया है जो काबिले खारिज है।

अप्रार्थीगण संख्या 07 लगायत 10 बावजूद तामील (सूचना) अनुपस्थित रहने से उक्त के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई एवं उस पर मनन किया गया। हमने पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अध्ययन व अवलोकन किया तथा संगत विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया।

अतः हम प्रकरण को अस्थाई व्यादेश से संबंधित निम्नलिखित तीन सारभूत बिन्दूओं के आधार पर विवेचन करते हुए निर्णित करना उचित समझते है :–

<u>प्रथम दृष्टया मामला</u> :– प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी में अप्रार्थीगण द्वारा बलपूर्वक हिस्से से अधिक प्रवेश कर खेतों में आने जाने के रास्तो को बंद कर प्रार्थीगण को बेदखल करने का कथन करते हुए प्रार्थना–पत्र वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया है। वर्तमान राजस्व अभिलेखों में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संयुक्त खातेदार है। अप्रार्थीगण ने अपने जवाब में बताया कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के पिता ने मौखिक बंटवाड़े में सांकड़ से लाछीवाड़ जाने वाली सड़क पर आई हुई कीमती व उपजाऊ जमीन खसरा 1977 रकबा 3.5500 हैक्टेयर को दो अपने बराबर हिस्सों में रखा जिसके अनुसार प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त आया हुआ है। मौखिक बंटवाड़े में आवागमन हेतु सुविधा की दृष्टि से सांकड़ से लाछीवाड़ जाने वाली सड़क से आम रास्ता नजरी नक्शा 'ब' में प्रदर्शित अनुसार सहमति से रखा गया है। जिसका उपयोग प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण कदीमी से करते आ रहे है। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी से संबंधित कब्जा काश्त का निर्धारण साक्ष्य सबूतों एवं विभाजन प्रस्ताव के पश्चात होगा। वादग्रस्त आराजी सामलाती है जिस पर अस्थाई निषेधाज्ञा लंबे समय तक

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.09.09 15:30:42 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

प्रदान नहीं की जा सकती है। इस प्रकार प्रथम दृष्ट्या मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी सिद्व होता है।

<u>सुविधा का संतुलन :–</u> प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी में अप्रार्थीगण द्वारा बलपूर्वक उपजाउ भूमि पर कब्जा कर प्रार्थीगण को बेदखल करना चाहते है तथा खेतों में आवागमन का रास्ता बंद कर ढ़ाणियों में कैद करने का कथन किया है, परन्तु पत्रावली पर इसका कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में भली भांति सिद्ध होता है।

<u>अपूरणीय क्षति :–</u> पूर्व विवेचित बिन्दू प्रथम दृष्ट्या मामला एवं सुविधा का संतुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित हो चुके है। वादग्रस्त आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से संयुक्त रिकॉर्डेड खातेदारों का कृषि आदान अनुदान, बैक से लोन प्राप्ति, रहनमुक्ति एवं कृषि भूमि के विकास आदि से वंचित हो जायेंगे। इस प्रकार खातेदारों को अपूरणीय क्षति कारित हो सकती है, अतः यह बिन्दू बहक अप्रार्थीगण साबित होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त आराजी के संबंध में सामलाती रिकॉर्डेड खातेदारों के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना उचित एवं विधिसंगत नहीं समझते है।

:– आदेश :–

अतः विवेचन के आधार पर निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के तीनों कानूनी बिन्दू अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार, **आर.ए.एस**)
सहायक कलक्टर एवं
सहायक कलक्टर, सांचौर

निर्णय आज दिनांक **20.08.2025** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.09.09 15:30:42 IST
Reason: SelfAttested